**जिला न्यायालय में पुनरीक्षण का प्रारूप**

न्यायालय जिला न्यायाधीश, आगरा

सिविल पुनरीक्षण सं................सन.............

(अन्तर्गत धारा 115, सि. प्र. सं.)

**अबक**  ........ वादी/अपीलार्थी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी/प्रत्यर्थी

वाद सम्पत्ति का मूल्यांकन 5,000 रुपये;

वाद की प्रकृति : व्यादेश के लिए वाद;

पुनरीक्षण आवेदन पत्र पर संदाय, किया गया न्यायालय शुल्क 10 रुपये

श्रीमान्,

वाद सं. 742 सन् 1973 में XVIII अतिरिक्त मुन्सिफ का आदेश दिनांकित 25-11-1985 के विरुद्ध निम्नलिखित आधारों पर सादर निवेदन किया जाता है.

**पुनरीक्षण के आधार**

1. क्योंकि विद्वान विचारण न्यायाधीश इसके उचित एवम् विधिक पहलू में संशोधन आवेदनपत्र पर न विचार करने में उसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल हो गया है।
2. क्योंकि ईप्सित संशोधन वाद की प्रकृति में परिवर्तन करने का तात्पर्य नहीं रखता है इसलिए यह वादी के दरवाजे, खिड़कियां तथा आकाश-प्रकाश को अवैधानिक ढंग से बंद करने से उसको अवरुद्ध करने के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध एक वाद है और परिवादी अनुसेबी सम्पत्ति पर प्रतिवादी के कब्जे की प्रकृति के बारे में सही तथ्यों को उसकी नोटिस में रखने के पश्चात् सखाचार अधिनियम की धारा 32 तथा इसके उन दृष्टान्तों में यथाकल्पित प्रतिकर के बारे में एक अनुतोष बढ़ाने के लिए कहा जो प्रत्यक्षतः आवेदक के मामले पर लागू होता था। विद्वान् मुन्सिफ ने आवेदक के इस प्रतिवाद पर कोई ध्यान नहीं दिया है और मनमानी ढंग से संदिग्धार्थी आदेश पारित कर दिया है।
3. क्योंकि आवेदक उस सम्पत्ति की स्थल योजना को संशोधित करने की भी इच्छा की है जिसके बारे में व्यादेश के अनुतोष का दावा किया जाता है। विद्वान् मुन्सिफ ने प्रस्तावित संशोधन के इस भाग पर बिल्कुल विचार नहीं किया है और उस पर अपना विनिश्चय देने का अपवंचन किया

**प्रार्थना**

अतएव यह सादर प्रार्थना किया जाता है कि पुनरीक्षण आवेदन पत्र विद्वान् मुन्सिफ के आदेश को अपास्त कर तथा वादी के संशोधन हेतु आवेदन पत्र को अनुज्ञात कर, अनुज्ञात कर दिया जाय।

**दिनांकित..... वादी के लिए अधिवक्ता**